इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY)

कार्यक्रम परिचालन हेतु दिशा निर्देश

OPERATIONAL GUIDELINE

राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग (Conditional Maternity Benefit) और पोषण परामर्श पर आधारित योजना।

1 परिचय

1.1. राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2020 से, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राज्य के पाँच जनजातीय जिलों – प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी है।

1.2. योजनान्तर्गत द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर निम्नानुसार पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की नकद सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जावेगी :–

शर्तें और किश्तें		
किश्त	**शर्त**	**राशि**
प्रथम	गर्भावस्था जांच व पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर **(अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर)**	1,000
द्वितीय	कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर **(गर्भावस्था के 6 माह के भीतर)**	1,000
तृतीय	बच्चे के जन्म पर **(निर्धारित संस्थान में संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) पर)**	1,000
चतुर्थ	बच्चे के 3 ½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर **(टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस–बी या इसके समकक्ष विकल्प की प्रथम खुराक प्राप्त करने पर)**	2,000
पांचवीं	द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाये जाने (PP Sterilisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर–टी (PPIUCD) लगवाये जाने पर	1,000
कुल राशि		6,000

नोटः–

- योजना में लाभ की जो शर्त निर्धारित है, उसमें अधिकतम अवधि अंकित है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समस्त मामलों में उसके पश्चात ही राशि के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया

जायेगा। समस्त मामलों में यह अपेक्षा की जाती है कि यथा संभव उसे अधिकतम समय सीमा से पहले ही उसे राशि प्रदान की जाये और इसके लिए जांच, टीकाकरण या परिवार नियोजन आदि को उस चरण में यथासंभव पहले ही पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाये।

- योजना की किश्तों की टाईमलाईन के निर्धारण के लिए राजपोषण पर समुचित डेशबोर्ड भी बनाया जायेगा, जिसमें यथासंभव उस चरण में निर्धारित समय सीमा से पहले शर्त की पालना की मोनिटरिंग पर बल दिया जायेगा। **(संलग्नक–8: जिला/परियोजना/आंगनवाड़ी वार किश्त अवधि अनुपालन रिपोर्ट)**

2. पात्र लाभार्थी

2.1. योजना हेतु ऐसी सभी महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना जाएगा–

- जो निर्धारित तिथि 01.11.2020 को या उसके पश्चात द्वितीय संतान हेतु गर्भवती हैं।

अथवा

- निर्धारित तिथि के पश्चात द्वितीय संतान हेतु प्रथम एएनसी के रूप में पंजीकृत हुई हैं।

2.2. पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (JSY) और राजश्री योजना के समान अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त नकद सहयोग राशि प्राप्त होगी।

2.3. लाभार्थी की गर्भावस्था की तिथि की गणना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल गर्भावस्था और बाल ट्रैकिंग प्रणाली (PCTS) में दर्ज, उसकी अंतिम माहवारी की तिथि (LMP) से की जाएगी।

2.4. योजना की शर्तों को पूर्ण करते हुए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होगी।

2.5. यदि किसी चरण की पालना लाभार्थी द्वारा नहीं की गई है, तो उस चरण की देय राशि लाभार्थी को देय नहीं होगी। लाभार्थी द्वारा उक्त चरण के उपरान्त, अगले चरण की शर्ते पूर्ण कर लेने की स्थिति में, सम्बन्धित लाभार्थी को अगले चरण की राशि देय होगी।

2.6. गर्भपात अथवा मृत शिशु जन्म (Still Birth) की स्थिति में, लाभार्थी महिला, भविष्य में गर्भधारण करने पर, योजनान्तर्गत पात्र होंगी।

3. अपात्र लाभार्थी

3.1. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप नियोजित महिला अथवा जो अन्य किसी प्रचलित विधि के अन्तर्गत समान प्रकार का लाभ प्राप्त कर रही है, उक्त लाभार्थी इस योजना हेतु अपात्र होगी।

3.2. प्रथम गर्भावस्था से जुडवा बच्चे होने की स्थिति में द्वितीय गर्भधारण वाली महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।

3.3. पुनर्विवाह की स्थिति में, नव–दम्पती (दोनों में से किसी के भी) के पूर्व में, एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में सम्बन्धित महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।

3.4. कोई भी महिला एक साथ, IGMPY और समान शर्तों से जुड़ी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की किश्तों का लाभ लेने हेतु अपात्र होगी।

4. योजनान्तर्गत सहयोग राशि स्थानान्तरण की प्रक्रिया का संचालन

4.1. IGMPY मुख्यतः कागज़ रहित (पेपरलेस) योजना है। लाभार्थियों को किश्तों के लिए किसी प्रकार का फॉर्म जमा नहीं करना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित PCTS द्वारा लाभार्थी की योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जायेगी।

4.2. योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी द्वारा PCTS पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन–आधार/Bhamashah ID और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जहां लाभार्थी का जन–आधार नहीं होगा, वहां जन–आधार बनवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

4.3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के PCTS पोर्टल को ICDS के राजपोषण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

4.4. किसी भी महिला का PCTS एप्लीकेशन में पंजीकरण होने पर, PCTS-ID के साथ उसका आवश्यक विवरण राजपोषण–2.0 एप्लीकेशन में निरन्तर स्व–चालित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त होगा।

4.5. पंजीकृत महिला द्वारा विभिन्न सेवायें प्राप्त करने पर, जैसे – प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, शिशु टीकाकरण, परिवार नियोजन साधन इत्यादि, विवरण उसके PCTS-ID के अन्तर्गत जुड़ जाएगा।

4.6. PCTS पर लाइन–लिस्टिंग के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, योजना अन्तर्गत पात्र महिलाओं की सूची नियमित रूप से राजपोषण–2.0 के साथ अपडेट (Auto-sync) होगी।

4.7. <u>संचालन चक्र (Operating Cycle)</u>

प्रस्तावित संचालन चक्र (Operating Cycle) निम्न आरेख (Diagram) के अनुसार निर्धारित किया गया है :–

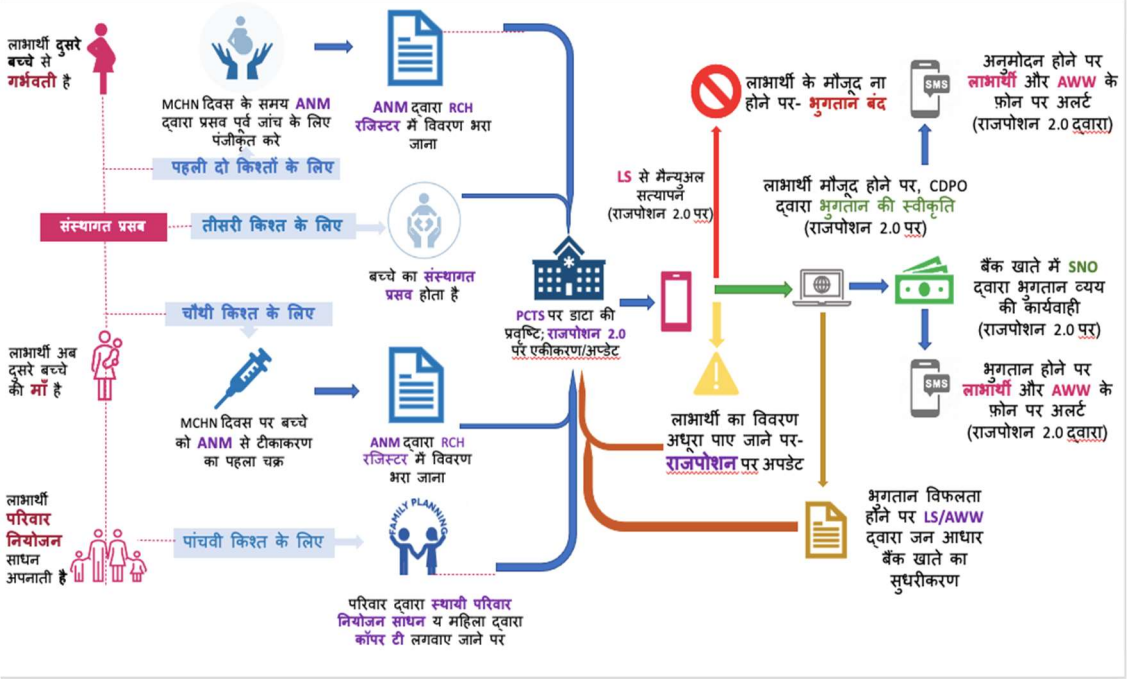

5. योजनान्तर्गत महिला पर्यवेक्षक की भूमिका

5.1. PCTS से अपडेट (Auto-Sync) होने के पश्चात् सम्बन्धित महिला के विवरण का मिलान योजना के पात्रता के नियमों से किया जाएगा तथा पात्र महिलाओं को राजपोषण के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षक (LS) के वेब आधारित लॉगिन में **किश्तवार** सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जावेगा।

5.2. राजपोषण पोर्टल से पात्र लाभार्थियों के सत्यापन एवं चयन हेतु कार्यवाही मुख्यतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ऐप विकसित करते हुए की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ता अपने ऐप पर PCTS से प्राप्त डाटा का सत्यापन कर उसे पात्र होने की स्थिति में लाभार्थी के रूप में चयनित करेगी।

5.3. परन्तु चूंकि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने एवं ऐप का प्रयोग होने में समय लग सकता है, अतः तब तक राजपोषण पोर्टल द्वारा महिला पर्यवेक्षक (LS) के वेब आधारित लॉगिन से प्रिन्ट लेते हुए मेनुअल रूप में सत्यापन कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

I. राजपोषण पोर्टल से PCTS द्वारा प्राप्त सूची का महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रिन्ट प्राप्त कर, सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता से लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त, महिला पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन किया जावेगा।

II. सूची दो रूपों में प्रिन्ट की जा सकती है–

- **प्रथम– प्रत्येक लाभार्थी की आधारभूत सूचना अनुसार व्यक्तिगत सूचना।** (संलग्नक–1: लाभार्थी की विस्तृत जानकारी)
- **द्वितीय– एक आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र के अनुसार पूर्ण सूची।** (संलग्नक–2: आंगनबाड़ी वार सत्यापन हेतु लाभार्थी की सूची)

III. सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षरयुक्त लाभार्थी पात्रता सूची पर सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति की अभिशंषा मय कारण इन्द्राज किया जाकर, उसकी एन्ट्री राजपोषण पोर्टल पर की जाएगी।

IV. इस सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि लाभार्थी महिला :–

- सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत हो
- योजना के लिये पात्र हो
- PCTS से प्राप्त सूचना में उसकी सत्यता–युक्त व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध हो।

V. महिला पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी कारण से लाभार्थी की पात्रता निरस्त होने की स्थिति में, महिला पर्यवेक्षक के स्तर से अस्वीकृति के कारण सहित, अस्वीकृति रिपोर्ट राजपोषण में प्रस्तुत की जाएगी :–

- योजना की मार्गदर्शिका के खण्ड–2 के अनुसार लाभार्थी के अपात्र होने की स्थिति में।
- योजना की मार्गदर्शिका के खण्ड–9 के अनुसार लाभार्थी के पात्रता समाप्त होने की स्थिति में।
- महिला का निजी जन–आधार अथवा बैंक खाते में त्रुटि होने की स्थिति में।

VI. जहाँ पर पीसीटीएस से प्राप्त सूचना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई भिन्नता पाती है, वहाँ वह समुचित सूचना प्रपत्र **(संलग्नक–3: संशोधन फॉर्म)** में अंकित करेगी और उसका साक्ष्य भी उसके साथ संलग्न करेगी।

VII. राजपोषण पोर्टल के अन्तर्गत, लाभार्थी के सही जन–आधार आईडी, बैंक खाता, IFSC code, मोबाइल नंबर के अपडेशन का विकल्प, सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक के पास होगा जिसे वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जमा संशोधन फार्म के आधार पर भरेगी। इस दौरान लाभार्थी का डेटा लम्बित (Pending) अवस्था में रहेगा तथा CDPO द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही के लिए सत्यापित माना जाएगा।

VIII. राजपोषण पोर्टल के डैश बोर्ड पर भी विशेष रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें PCTS अथवा जन–आधार से भिन्न कोई डाटा अंकित या सूचित किया गया। **(संलग्नक–4)**

5.4. राजस्थान में वर्तमान में जन–आधार को परिवार एवं व्यक्तिगत पहचान का आधार घोषित किया गया है, जिसमें परिवार की पहचान संख्या 10 डिजिट की होती है तथा उसमें व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 डिजिट की होती है। **लाभार्थी की 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित करनी है। इस सूचना के लिए पीसीटीएस तथा राजपोषण दोनों में यथानुसार जन–आधार को ऐन्ट्री गेटवे रखना होगा। इसका तात्पर्य होगा कि जिसका जन–आधार नम्बर नहीं होगा, उसके जन–आधार बनवाने की कार्यवाही की जाएगी। जन–आधार बनवाने का मूल दायित्व लाभार्थी का**

होगा, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसे सूचित व प्रेरित करेगी कि वह ई–मित्र अथवा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अथवा स्वयं पोर्टल पर यह कार्यवाही करे।

5.5. राजपोषण पोर्टल से जन–आधार के सत्यापन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिसके माध्यम से सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक, जन–आधार पोर्टल पर महिला के नाम का मिलान तथा लाभार्थी के जन–आधार आईडी के बैंक खाते से लिंक की सुनिश्चितता कर सकेगी।

5.6. लाभार्थी का नाम राजपोषण पोर्टल एवं जन–आधार पोर्टल पर मिलान नहीं होने की स्थिति में, सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा राजपोषण पोर्टल में लाभार्थी के नाम में संशोधन करने के पश्चात ही लाभार्थी के डेटा को सत्यापन कर अग्रेषित किया जावेगा।

5.7. लाभार्थी के जन आधार से बैंक खाता जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी (Yes/No) राजपोषण पर दी जाएगी। लाभार्थी का बैंक खाता जन–आधार पोर्टल पर लिंक नहीं होने की स्थिति में, सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा, सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता से जन–आधार पोर्टल में लाभार्थी के खाते को लिंक करवाने के पश्चात ही लाभार्थी के डेटा को सत्यापन कर अग्रेषित किया जावेगा। इस दौरान लाभार्थी का डेटा लम्बित (Pending) अवस्था में रहेगा।

5.8. ऐसे भी लाभार्थी हो सकते हैं, जो पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पीसीटीएस पोर्टल पर दर्ज न हों। ऐसी स्थिति में नई लाभार्थी को, जिसका पंजीकरण पीसीटीएस में नहीं हुआ है, योजना में पात्रता के लिए आंगनवाड़ी पर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा तथा मान्य दस्तावेज़ (जन आधार, फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि) अपने हस्ताक्षर के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जमा करवाने होंगे। यह फॉर्म दो प्रतियों में भरा जाएगा और एक प्रति आशा सहयोगिनी/एएनएम को पीसीटीएस में एन्ट्री हेतु दी जाएगी। **(संलग्नक–5: पंजीकरण फार्म)**

5.9. महिला पर्यवेक्षक यह निरंतर निरीक्षण करेगी कि जिन **नवीन लाभार्थियों के** पंजीकरण फार्म की प्रति आशा सहयोगिनी/एएनएम को पीसीटीएस में एन्ट्री हेतु दी गयी है उनका डाटा पीसीटीएस द्वारा राजपोषण पर प्राप्त हुआ है या नहीं। महिला पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेगी कि आशा सहयोगिनी/एएनएम द्वारा पीसीटीएस में सम्बन्धित डाटा की एन्ट्री करा दी गई है।

5.10. साथ ही महिला पर्यवेक्षक द्वारा ऐसे नवीन लाभार्थियों का डाटा राजपोषण में भरा जाएगा। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ निरीक्षण हेतु किया जाएगा। इस लाभार्थी की किश्त भुगतान की प्रक्रिया पीसीटीएस विवरण प्राप्त होने के पश्चात ही आरम्भ की जाएगी।

5.11. राजपोषण पर यह सूचना अतिरिक्त रूप में प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रारूप निम्नानुसार हो सकता है **(संलग्नक–4)** –

- **पीसीटीएस पर मूल रूप से दर्ज लाभार्थी**
- **पीसीटीएस पर दर्ज नहीं परन्तु राजपोषण पर नवीन रूप में दर्ज लाभार्थी**
- **राजपोषण पर नवीन रूप में दर्ज होने के उपरान्त पीसीटीएस पर दर्ज लाभार्थी**

6. योजनान्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका

6.1. महिला पर्यवेक्षक के स्तर से सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात, लाभार्थी का विवरण सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु उपलब्ध होगा।

6.2. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा, महिला पर्यवेक्षक की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, लाभार्थी का डेटा, सम्बन्धित किश्त के भुगतान हेतु अनुमोदन/निरस्त किया जावेगा।

6.3. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर से अनुमोदन पश्चात,

I. राजपोषण पोर्टल अन्तर्गत किये गये संशोधन का डेटा Auto-Sync के माध्यम से PCTS में अपडेट होगा।

II. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा लाभार्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एक अलर्ट संदेश प्राप्त होगा।

III. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थियों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, **इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वेलकम किट** का विकास और वितरण किया जाएगा। इस किट में माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार/सम्बन्धित जिला कलेक्टर के द्वारा हस्ताक्षरित अभिनंदन पत्र, योजना विवरण (पात्रता, शर्तें, प्रत्येक शर्त के साथ जुड़ी भुगतान राशि और मानक आहार परामर्श) संबंधी विवरण उपलब्ध होगा।

6.4. CDPO द्वारा स्वंय की लॉगिन आईडी से लाभार्थी का विवरण, राज्य नोडल अधिकारी (SNO) के वेब–आधारित लॉगिन पर किश्त राशि भुगतान के लिए अनुमोदित किया जाएगा।

7. योजनान्तर्गत किश्तों के लिए आवेदन प्रक्रिया

I. वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित भुगतान प्रणाली का उपयोग कर लाभार्थियों को शर्त सम्बन्धित जानकारी PCTS सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जाएगी। इसलिए योजना अन्तर्गत आवश्यक है कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर, योजना के बिन्दु संख्या 2 व 3 में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण कराया जावे। इस कार्य की ज़िम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी की होगी।

II. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसी महिलाओं का अगले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस (MCHN Day) के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र या निकटतम सरकारी स्वास्थ केन्द्र या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में सूचीबद्व निजी अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांच तथा PCTS में पंजीकरण हो।

7.1. **प्रथम किश्त प्रक्रिया**

I. कोई भी महिला जो आंगनवाड़ी केन्द्र मे अपनी द्वितीय गर्भावस्था का पंजीकरण करवाती है और अपनी अंतिम माहवारी तिथि के 120 दिनों के भीतर अपनी पहली प्रसव पूर्व जांच प्राप्त कर लेती है, वह प्रथम किश्त हेतु पात्र होगी और उसके लिए स्वतः पंजीकृत हो जाएगी।

II. सम्बन्धित आशा सहयोगिनी द्वारा, एएनएम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि RCH रजिस्टर में सेवाओं का पूर्ण रूप से इन्द्राज हो तथा संबंधित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक PCTS पर IGMPY के पात्र लाभार्थियों के लिए जननी सुरक्षा योजना केस पंजीकरण फॉर्म **(जे–1 क्लेम फॉर्म)** जमा किया गया हो।

III. सम्बन्धित आशा सहयोगिनी यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि महिला ने निजी संस्थान में जांच करवाई है, तो सम्बन्धित एएनएम द्वारा ममता कार्ड में इसका इन्द्राज कर दिया जावे ताकि PCTS में उक्त महिला का रिकॉर्ड प्रदर्शित हो सके।

IV. प्रथम किश्त की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी महिला का आकस्मिक/चिकित्सकीय गर्भपात होने की स्थिति में लाभार्थी केवल प्रथम किश्त हेतु पात्र होगी, आगे की किश्तें देय नहीं होंगी। परन्तु महिला की मृत्यु प्रथम किश्त के सत्यापन से पूर्व हो जाती है तो प्रथम किश्त भी देय नहीं होगी।

7.2. **द्वितीय किश्त प्रक्रिया**

I. पात्र लाभार्थी महिला द्वारा अपनी अंतिम माहवारी तिथि के 6 महीने की समयावधि में, 2 प्रसव पूर्व जांच करवाने पर द्वितीय किश्त हेतु पात्र होगी।

II. सम्बन्धित आशा सहयोगिनी यह सुनिश्चित करेंगी कि लाभार्थी की उक्त जॉचो को सम्बन्धित एएनएम द्वारा ममता कार्ड एवं RCH रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया गया है और उक्त रिकार्ड PCTS में अपडेट हो गया है।

III. द्वितीय किश्त की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी महिला का आकस्मिक/चिकित्सकीय गर्भपात होने की स्थिति में लाभार्थी द्वितीय किश्त हेतु पात्र होगी, आगे की किश्तें देय नहीं होंगी। परन्तु महिला की मृत्यु द्वितीय किश्त के सत्यापन से पूर्व हो जाती है तो द्वितीय किश्त देय नहीं होगी।

7.3. **तृतीय किश्त प्रक्रिया**

I. संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) करवाने वाली लाभार्थी महिला तृतीय किश्त हेतु पात्र होगी।

II. जननी सुरक्षा योजना में सूचीबद्व निजी/राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र में संस्थागत प्रसव होने की स्थिति में लाभार्थी का रिकार्ड PCTS में स्वतः अपडेट हो जायेगा, जिससे लाभार्थी तृतीय किश्त हेतु पात्र होगी।

III. प्रसव के समय या प्रसव के उपरान्त किश्त के लिए सत्यापन से पहले महिला की मृत्यु होने की स्थिति में, लाभार्थी तृतीय किश्त हेतु अपात्र होगी परन्तु प्रसव के समय मृत शिशु के जन्म (Still Birth) की स्थिति में महिला को तृतीय किश्त तो देय होगी परन्तु वह चतुर्थ किश्त हेतु पात्र नहीं होगी ।

7.4. **चतुर्थ किश्त प्रक्रिया**

I. लाभार्थी महिला द्वारा, योजनान्तर्गत जन्मे बच्चे का राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण करने पर चतुर्थ किश्त के लिए पात्र होगी। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, इसमें BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस–बी या इसके समकक्ष/विकल्प का प्रथम चक्र शामिल है। **(संलग्नक–6)**

II. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, बच्चे के जन्म के 14 सप्ताह के भीतर टीकाकरण अधिमानतः पूरा किया जाना है। योजना के अनुसार बच्चे के 3 ½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर **(टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को** BCG, OPV, DPT **और हेपेटाइटिस–बी या इसके समकक्ष विकल्प की प्रथम खुराक प्राप्त करने पर)** चतुर्थ किश्त देय हो जाती है। यदि यह निर्धारित टीकाकरण इससे पूर्व कर लिया जाता है, तो उसे इससे पूर्व भी राशि प्रदान की जा सकती है।

III. आशा सहयोगिनी यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम/चिकित्सा अधिकारी PCTS पर टीकाकरण का विवरण प्रत्येक महीने की 15 तिथि तक लाभार्थी PCTS आईडी के अन्तर्गत इन्द्राज कर दिया गया हो।

IV. यदि प्रथम चरण के टीकाकरण चक्र के पूर्ण होने से पूर्व धात्री माता अथवा शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी चतुर्थ किश्त हेतु अपात्र होगी। परन्तु जहाँ पर टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है और उसके उपरान्त सत्यापन से पूर्व शिशु की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर उसकी चतुर्थ चरण की राशि देय होगी। इसी प्रकार यदि माँ की मृत्यु हो जाती है तो उससे पूर्व नियमानुसार प्रक्रिया व शर्त पूरी होने पर भी राशि देय नहीं होगी, क्योंकि योजना मूलतः माँ के पोषण हेतु संचालित है।

7.5. **पांचवी किश्त प्रक्रिया**

I. द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाये जाने (PP Sterilisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर–टी (PPI UCD) लगवाए जाने पर महिला पांचवी किश्त के लिए पात्र होगी। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लाभार्थी को प्रेरित करने का कार्य करेगी।

II. सम्बन्धित आशा सहयोगिनी यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित जननी सुरक्षा योजना सूचीबद्व स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित एएनएम/चिकित्सा अधिकारी के स्तर से PCTS पर परिवार नियोजन साधन का विवरण प्रत्येक महीने की 15 तिथि तक लाभार्थी PCTS आईडी के अन्तर्गत इन्द्राज कर दिया गया हो।

नोटः– जननी सुरक्षा योजना में सूचीबद्ध निजी/राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र से अलग अन्य संस्थान में प्रसव पूर्व जांच/संस्थागत प्रसव/टीकाकरण/परिवार नियोजन की प्रक्रिया होने की स्थिति में लाभार्थी को सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र पर स्व–घोषणा (Self-Declaration) पत्र पंजीकरण फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह फॉर्म दो प्रतियों में भरा जाएगा और एक प्रति आशा सहयोगिनी/एएनएम को पीसीटीएस में एन्ट्री हेतु दी जाएगी। साथ ही महिला पर्यवेक्षक द्वारा ऐसे लाभार्थियों का डाटा राजपोषण में भी भरा जाएगा। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ निरीक्षण हेतु किया जाएगा। इस लाभार्थी की किश्त भुगतान की प्रक्रिया पीसीटीएस विवरण प्राप्त होने के पश्चात ही आरम्भ की जाएगी। **(संलग्नक–6: निजी स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा लेने की स्थिति में स्व–घोषणा (Self-Declaration) पत्र का प्रारूप)**

8. लाभार्थियों को भुगतान

I. लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे राजपोषण से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

II. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जन–आधार गेटवे के माध्यम से जनआधार से जुड़े खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा।

III. योजना के तहत नकद या चैक के माध्यम से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

IV. भुगतान अनुमोदन के लिए पहले से सत्यापित और अग्रेषित किए गए लाभार्थियों की किश्त की रिक्वेस्ट सीधे SNO के वेब–आधारित क्रेडेंशियल्स में फॉरवर्ड हो जायेगी।

V. SNO द्वारा भुगतान अनुमोदन के पश्चात, समस्त जानकारी प्रौद्योगिकी विभाग के भुगतान गेटवे पर चली जाएगी। SNO और वित्तीय सलाहकार (FA) द्वारा गेटवे पर भुगतान स्वीकृत किये जाने के पश्चात, स्वीकृत राशि लाभार्थी के खातों में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

9. योजना से बाहर निकलने के कारण

I. इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के पश्चात् लाभार्थी महिला के किसी कारणवश योजना हेतु अपात्र होने की स्थिति में वह लाभार्थी तत्पश्चात् योजनान्तर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र होगी।

II. योजना से निकासी के प्रमुख कारण :–

- गर्भपात (Miscarriage/Abortion)
- गर्भ–समापन (MTP)
- मृत शिशु जन्म (Still Birth)

- अन्यत्र प्रव्रजन (Migration), जहाँ योजना का संचालन नहीं हो
- लाभार्थी महिला अथवा शिशु की मृत्यु

III. चूंकि गर्भपात (Miscarriage/Abortion), गर्भ–समापन (MTP) एवं मृत शिशु जन्म (Still Birth) से सम्बन्धित आंकडो का इन्द्राज PCTS में होता है। अतः इस प्रकार के प्रकरण से सम्बन्धित डेटा PCTS से राजपोषण में प्राप्त होगा, जो सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये जायेगें।

IV. इसके अतिरिक्त अन्य किसी वजह से निकासी के कारण का सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा, सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त, सम्बन्धित किश्त के समय ही इसका सत्यापन किया जावेगा।

V. सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा पोर्टल में उपलब्ध उचित कारण को चिह्नित करने के उपरान्त ही लाभार्थी को अस्वीकृत किया जाएगा।

10. विशेष विवरण–

विभाग द्वारा इसमें समयानुसार आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान किये जा सकेंगे तथा कार्य की समुचित मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक डैशबोर्ड प्रारूप अथवा प्रपत्र निर्धारित करते हुए समन्वय एवं बैठक की कार्यवाही कर सकेंगे।

संलग्नक – 1
लाभार्थी का विवरण

दिनांक		आंगनवाड़ी का नाम	
महिला पर्यवेक्षक का नाम		आंगनवाड़ी का कोड	
जिला		आशा का नाम	
परियोजना का नाम		आशा आई डी	
सैक्टर का नाम			
लाभार्थी की सूचना			
पीसीटीएस आईडी		लाभार्थी का नाम	
जन्म तिथि		लाभार्थी का व्यक्तिगत जन आधार	
मोबाइल नंबर		पिता/पति का नाम	
जाति	(SC/ST/OBC/General/ Minority)	धर्म	(Hindu/ Muslim/ Sikh/ Christian/ Buddhist/ Others)
आर्थिक वर्ग	(APL/ BPL/ Antodaya)	गृह जिला	
वैवाहिक स्थिति	Married/ Divorced/Widowed	वर्तमान पता	
व्यवसाय			
योजना सम्बन्धित सूचना			
अंतिम माहवारी की दिनांक			
प्रसव की दिनांक (यदि हो चुका है)			
योजना अन्तर्गत प्राप्त किश्त	☑ **प्रथम** ☑ **दितीय** ☑ **तृतीय** ☑ **चतुर्थ** ☑ **पंचम**		
बैंक सम्बन्धित सूचना			
बैंक का नाम		ब्रांच का नाम	
बैंक खाता नम्बर		आईएफएससी कोड	

संलग्नक–2
आंगनबाड़ी वार सत्यापन हेतु लाभार्थी की सूची

दिनांक.....

जिला..... परियोजना..... आंगनबाड़ी केन्द्र..... आशा का नाम.....

क्र. सं.	महिला का नाम	पति/ पिता का नाम	PCTS ID	जन्म तिथि	अंतिम माहवारी की तारीख (LMP)	किश्त (प्रथम, दितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम)	मोबाईल नं.	जन–आधार कार्ड सं. (व्यक्तिगत)	बैंक खाता संख्या / IFSC Code	सत्यापन टिप्पणी (हाँ/नहीं /संशोधन)	सत्यापन विफलता का कारण*	लाभार्थी अथवा परिवार जन का हस्ताक्षर
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

* 1 – गर्भपात, 2 – गर्भ–समापन, 3 – मृत शिशु जन्म, 4 – अन्यत्र प्रव्रजन, 5 – लाभार्थी महिला अथवा शिशु की मृत्य, 6 – अपात्र (सरकारी नौकरी), 7 – अपात्र (दो या दो से अधिक संतान), 8 – अपात्र (गैर योजना जिले में आवास), 9 – अन्य

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर: महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर:

संलग्नक–3

संशोधन फॉर्म

दिनांक	*पहले से भरा हुआ*		
जिला	*पहले से भरा हुआ*	महिला पर्यवेक्षक का नाम	*पहले से भरा हुआ*
परियोजना का नाम	*पहले से भरा हुआ*	सैक्टर का नाम	*पहले से भरा हुआ*
आंगनवाड़ी का नाम	*पहले से भरा हुआ*	आंगनवाड़ी का कोड	*पहले से भरा हुआ*
आशा का नाम	*पहले से भरा हुआ*	आशा आईडी	*पहले से भरा हुआ*

लाभार्थी की सूचना

लाभार्थी का नाम		लाभार्थी का पीसीटीएस आईडी	
मोबाइल नंबर		लाभार्थी का व्यक्तिगत जन आधार नंबर	
जन्म तिथि		पिता/पति का नाम	

संशोधन हेतु सूचना

		प्राप्त सूचना		सही सूचना
पीसीटीएस से राजपोषण में प्राप्त सूचना गलत या भिन्न या अपूर्ण (पुष्टि में साक्ष्य भी संलग्न करें।)	☑	जन आधार		
	☑	बैंक खाता		
	☑	बैंक आईएफएससी कोड		
	☑	मोबाइल नंबर		
टिप्पणी				

संलग्नक (as applicable)

जन आधार कॉपी	☑	लाभार्थी का सत्यापन पूर्ण	**हाँ/नहीं**
बैंक पासबुक कॉपी	☑		

लाभार्थी के हस्ताक्षर **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर** **महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर**

संलग्नक–4

जिला/परियोजना/आंगनवाड़ी वार लाभार्थी सत्यापन समेकित रिपोर्ट

अवधिः ..... – .....

जिला..... परियोजना..... आंगनबाड़ी केन्द्र.....

संकेतक	कुल	प्रतिशत
कुल लाभार्थियों की संख्या		
सत्यापित लाभार्थियों की संख्या		
सफल सत्यापन (पीसीटीएस/राजपोषण से प्राप्त डाटा सही व नियमानुसार पात्र)		
असफल सत्यापन(पीसीटीएस/राजपोषण से प्राप्त डाटा सही नहीं अथवां नियमानुसार पात्र नहीं)		
असफल सत्यापन (कारण वार)		
1. गर्भपात		
गर्भ–समापन		
मृत शिशु जन्म		
अन्यत्र प्रव्रजन		
लाभार्थी महिला अथवा शिशु की मृत्यु		
अपात्र (सरकारी नौकरी)		
अपात्र (दो या दो से अधिक संतान)		
अपात्र (गैर योजना जिले में आवास)		
अन्य		
संशोधन हेतु प्रेषित		
जन–आधार		
बैंक खाता		
मोबाइल नम्बर		
नाम (जन आधार से बेमेल)		
पीसीटीएस पर मूल रूप से दर्ज लाभार्थी		
पीसीटीएस पर दर्ज नहीं परन्तु नवीन पंजीकृत लाभार्थी (PCTS पर पंजीकरण लम्बित)		
राजपोषण पर नवीन रूप में दर्ज होने के उपरान्त पीसीटीएस पर दर्ज लाभार्थी		

संलग्नक–5
पंजीकरण फॉर्म

दिनांक	*पहले से भरा हुआ*	आंगनवाड़ी का नाम	
महिला पर्यवेक्षक का नाम	*पहले से भरा हुआ*	आंगनवाड़ी का कोड	
जिला	*पहले से भरा हुआ*	आशा का नाम	
परियोजना का नाम	*पहले से भरा हुआ*	आशा आईडी	
सैक्टर का नाम	*पहले से भरा हुआ*		
लाभार्थी की सूचना			
आधार नंबर		लाभार्थी का नाम	
जन्म तिथि		लाभार्थी का व्यक्तिगत जन आधार नंबर	
मोबाइल नंबर		पिता/पति का नाम	
धर्म	Hindu/ Muslim/ Sikh/ Christian/ Buddhist/ Others	जाति	SC/ST/OBC/General/ Minority
आर्थिक वर्ग	APL/ BPL/ Antodaya	डोमिसाइल जिला	
वैवाहिक स्थिति	Married/ Divorced/Widowed	वर्तमान पता	
व्यवसाय		अंतिम प्रसव की तारीख़	
बैंक सम्बन्धित सूचना			
बैंक का नाम		ब्रांच का नाम	
बैंक खाता नम्बर		आईएफएससी कोड	
पंजीकरण के समय देय किश्त संख्या	☑ प्रथम ☑ दितीय ☑ तृतीय ☑ चतुर्थ ☑ पंचम		

यदि लाभार्थी का पंजीकरण किसी कारण से पीसीटीएस में नहीं हुआ है, तो वह IGMPY योजना में पात्रता के लिए IGMPY पंजीकरण फॉर्म के साथ देय किश्त अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र पर जमा करा सकती है।

जमा होने वाले दस्तावेज़ (✓ का निशान लगाएं)	**पहली किश्त** (पंजीकरण की दिनांक LMP से 120 दिन के अंदर)	**दूसरी किश्त** (पंजीकरण की दिनांक LMP से 120 से 180 दिन के बीच में)	**तीसरी किश्त** (संस्थागत प्रसव पूर्ण)	**चतुर्थ किश्त** (प्रथम चरण के टीकाकरण पूर्ण होने पर)	**पंचम किश्त**
जन आधार कॉपी					
स्व- घोषणा					
बैंक पासबुक कॉपी					
निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा जारी एएनसी जांच प्रमाण पत्र					
निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा जारी डिस्चार्ज स्लिप					
निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा जारी शिशु के टीकाकरण के पहले चक्र के सम्पूर्ण होने का प्रमाण पत्र					
निजी स्वास्थ्य संस्था द्वारा जारी परिवार नियोजन प्रमाण पत्र					

लाभार्थी के हस्ताक्षर **आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर** **महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर**

संलग्नक–6

निजी स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा लेने की स्थिति में स्व–घोषणा (Self-Declaration) पत्र का प्रारूप

मैं ..... (नाम) ..... (पिता/पति का नाम) की पुत्री/पत्नी .....

..... (आंगनवाड़ी केन्द्र/गांव का नाम) की निवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि दिनांक ..... को ..... (निजी स्वास्थ्य संस्थान का नाम)

में मेरे/मेरे पति द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवा ली गईं हैं :–

1. पहली प्रसव पूर्व जांच ☑
2. दूसरी प्रसव पूर्व जांच ☑
3. संस्थागत प्रसव ☑
4. शिशु का पहला टीकाकरण चक्र ☑
5. परिवार नियोजन की प्रक्रिया ☑

मैं IGMPY योजना के लिए पात्र हूँ एवं योजना की पात्रता हेतु निर्धारित दस्तावेज़ पंजीकरण फॉर्म के अनुसार संलग्न हैं।

लाभार्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक–7

टीकाकारण सारणी

टीके का नाम	जन्म पर	$1^1/_2$ माह	$2^1/_2$ माह	$3^1/_2$ माह
BCG टी.बी रोग से बचाता है	✓			
HepB (Birth Dose) हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है (जन्म से 24 घण्टे के अन्दर)	✓			
OPV- 0 Dose,1,2,3 & B पोलियो रोग से बचाता है	✓	✓	✓	✓
f-IPV - 1,2 पोलियो रोग से बचाता है		✓		✓
PENTA - 1,2,3 काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एवं हिब इंफेक्शन से बचाता है		✓	✓	✓
PCV - 1,2,B न्यूमोनिया रोग से बचाता है		✓		✓
ROTA - 1,2,3 दस्त रोग से बचाता है		✓	✓	✓

संलग्नक–8

जिला/परियोजना/आंगनवाड़ी वार किश्त अवधि अनुपालन रिपोर्ट

अवधिः ..... – .....

जिला..... परियोजना..... आंगनबाड़ी केन्द्र.....

किश्त संख्या	शर्त	कुल लाभार्थी (जिन्हें किश्त संख्या मिली हैं)	किश्त अवधि अनुपालन		
			अवधि	कुल	प्रतिशत
प्रथम	**अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर** गर्भावस्था जांच व **पंजीकरण होने पर**		60–90 दिन के अन्दर		
			91–100 दिन के अन्दर		
			101–120 दिन के अन्दर		
द्वितीय	**गर्भावस्था के** 6 **माह के भीतर** कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच (ANC) पूरी होने पर		120–150 दिन के अन्दर		
			151–165 दिन के अन्दर		
			166–180 दिन के अन्दर		
तृतीय	बच्चे के जन्म पर **(निर्धारित संस्थान में संस्थागत प्रसव)**				
चतुर्थ	बच्चे के 3 ½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर				
पंचम	द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान जन्म के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाये जाने पर		प्रसव के साथ		
			प्रसव से 1 माह के भीतर		
			1 से 3 माह के भीतर		